# भीम ❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖ घर-घर औषधि योजना

पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर–302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ/2022–23/ 8318 दिनांक 28-06-2022

निमित्त,

अधिशाषी अभियंता, सा0 नि0 विभाग,
जिला खण्ड–बस्सी (जयपुर)

विषयः– प्रस्ताव ''Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas, Toda Meena, Tala, Jaichandpura , Gathwari, Bobari , Under PMGSY-III, District -Jaipur (Rajasthan)& FP/RJ/ROAD/149378/2021 के कम में।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय के पत्र कमांक Camp/Jpr/Spl-03 दिनांक 27.05.2022 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र कमांक 7383 दिनांक 24.05.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण में EDS जारी किया गया था। जिसके लिखा गया था कि ''क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल के साथ पुनः निरीक्षण कर स्पष्ट रिपोर्ट प्रेषित करावें कि आप द्वारा कितनी लम्बाई एवं चौडाई में रोड का Renewal & Strengthining किया जावेगा एवं पूर्व में कितनी चौडाई व लम्बाई में डामर/ग्रेवल रोड बना हुआ हैं। साथ ही क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल के साथ दिनांक 10.03.2022 को आपके कार्यालय के प्रतिनिधि के साथ किये गये संयुक्त निरीक्षण उपरान्त बनाये गये मौका पंचनामा व कार्यालय में जमा कराई गयी पत्रावली के अनुसार सडक की चौडाई को लेकर दोनों बातों में विरोधाभाष था।'' जिसके कम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल मय स्टाफ व सहायक अभियन्ता, जमवारामगढ के साथ आप द्वारा दिनांक 18.06.2022 को संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वन भूमि में बनी हुई सडक की लम्बाई 1794 मीटर एवं चौडाई 3.75 मीटर हैं। तथा दोनों तरफ साईड में एक–एक मीटर क्षेत्र में ग्रेवल पटरी बनी हुई हैं। उक्त मौका निरीक्षण के दौरान आप द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल को अवगत कराया गया कि पूर्व में बने हुये रोड लम्बाई 1794 मीटर एवं चौडाई 3.75 मीटर पर ही डामरीकरण का कार्य किया जायेगा एवं रोड के दोनों तरफ साईड में एक–एक मीटर क्षेत्र में ग्रेवल पटरी बनाई जावेगी। आपके द्वारा पूर्व में 7.5 मीटर चौडाई का प्रस्ताव भिजवाया गया था। उक्त प्रस्ताव का पुनः अवलोकन करने पर सही पाया गया। **अतः उक्त के कम में आप या आपका प्रतिनिधी क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल से सामान्जस्य स्थापित कर प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दी जाने वाली विचाराधीन समतुल्य गैर वन भूमि ''जो वन भूमि से लगती हुई, अतिकमण मुक्त व क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त व एक ही, स्थान पर (Compact block) में हो'' का संयुक्त निरीक्षण कर उपयुक्त होने का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न करें। जिसके उपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण किया जा सके। तत्पश्चात् वन भूमि से लगती हुई एवं उपयुक्त होने पर उक्त भूमि को वन विभाग के नाम करवाने की कार्यवाही करवाकर उसका राजस्व नक्शा, जमाबंदी, जी0 टी0 शीट पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसकी के0एम0एल0 फाईल व जी0पी0एस0 कॉडिनेट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि उसकी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव व LAND SUITABILITY CERTIFICATE बनाये जा सके।**

उक्त बिन्दुओं पर सूचना आप युजर ऐजेन्सी से ली जानी प्रस्तावित है अतः उक्त बिन्दुओं की पूर्ति करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(सुदीप कौर)
उप वन सरंक्षक
जयपुर (उत्तर)

Fca Inf 405